



### भारत में साइबर अपराधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

**डॉ. रेनु चौहान**

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,  
एस.बी.डी. महिला महाविद्यालय धामपुर (बिजनौर)



#### पस्तावना :

वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक विकास आज अपने चर्मोत्कर्ष पर है। इस समय संचार की क्रांति ने पूरे विश्व को एक वैश्विक गाँव के रूप में बदल दिया है। कम्प्यूटर से सम्बन्धित टेक्नोलॉजी के कारण हम कुछ क्षणों के अन्दर ही दुनिया भर में कहीं भी सन्देशों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, सभी तरह की सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं तथा संसार के किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को देखते हुए उससे बातचीत कर सकते हैं। जिन ऑकड़ों, सूचनाओं और तथ्यों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ समय पहले तक कार्यालयों में हजारों फाइलें रखी जाती थीं, वहीं आज कम्प्यूटर की सहायता से हम सभी ऑकड़े एक सॉफ्टवेयर में रखकर उसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्क के द्वारा एक-दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर स्थापित कम्प्यूटरों को एक-दूसरे से इस तरह जोड़कर रखा जा सकता है कि एक साइट से सम्बन्धित सामग्री का उपयोग दूसरे सभी कम्प्यूटरों के द्वारा किया जा सकता है। यह आधुनिकता की दिशा में होने वाली एक ऐसी उपलब्धि है जिसने प्रौद्योगिकी, औद्योगीकरण, वैज्ञानिक विकास, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा एवं जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है।

कहा जाता है कि सन् 1969 में अमेरिकी रक्षा अनुसंधान विभाग ने कम्प्यूटरों के सर्वाधिक किफायती प्रयोग के लिए इन्टरनेट का आविष्कार किया था। लेकिन इसके संक्षिप्त इतिहास को लिखने वाले ब्रूस स्टर्लिंग का कहना है कि शीत युद्ध के दौरान आणविक हमले में सभी तरह की संचार प्रणालियों के नष्ट होने के अन्देशों के कारण अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संचार प्रणाली की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए एक अनियमित प्रकार की संचार प्रणाली की खोज करने के उद्देश्य से पहली बार इन्टरनेट का आविष्कार हुआ था। पहले इन्टरनेट का प्रयोग विश्वविद्यालयों और उच्चस्तरीय संस्थानों में होता था। 1990 के दशक की शुरुआत में वर्ल्ड वाइड वेब डब्लू डब्लू डब्लू का विकास हुआ जो पॉच क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटिंग सेंटरों को मिलाकर बनाया था।

सन् 1994 तक वर्ल्ड वाइड वेब आज सामान्य जन में अपनी उपलब्धि और उपयोगिता दर्ज कर चुका था। इसके मल्टीमीडिया और हारपरटेक्सट्स से सम्बन्धित पहलू यूरोप की संचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकसित ओ एस आई प्रोटोकॉल स्टैक से बेहतर साबित हुए और जल्द ही यह निश्चित हो गया कि इन्टरनेट अगली शताब्दी में वैश्विक एकीकरण की सबसे प्रभावी प्रौद्योगिकी साबित होगी। वर्तमान में जितने भी नेटवर्क संसार में बनाये जाते हैं सभी इन्टरनेट में सम्मिलित हो जाते हैं और इसका क्षेत्र उत्तरोत्तर वृहद् होता चला जाता है और इस तरह एक नेटवर्क सोसाइटी जन्म लेती है।

नेटवर्क सोसाइटी को ही सूचना समाज के नाम से जाना जाता है। कम्प्यूटरों के परस्पर सम्पर्क से बना जाल नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों के बीच विचरण करने वाले इन्टरनेट के प्रयोक्ता नोटिजंस कहलाते हैं और नोटिजंस का समाज सूचना समाज के नाम से जाना जाता है।

भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग ने 2002-02 ई0 में काफी प्रगति की है। वास्तव में वह इस वित्तीय वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में इस वर्ष 26 प्रतिशत से

ज्यादा की वृद्धि दर्ज की। इस क्षेत्र में इस वर्ष कुल 12.7 अरब डॉलर (59,900 करोड़ रुपये) का कारोबार हुआ तथा 10 अरब डॉलर (47,500 करोड़ रुपये) का निर्यात हुआ। इसी वर्ष इस क्षेत्र के देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.4 प्रतिशत और निर्यात के 20.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2008 ई0 तक इनका योगदान क्रमशः 7 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत हो जाएगा।

2002-03 ई0 में पर्सनल कम्प्यूटर की बिक्री 2001-02 ई0 की तुलना में 16 लाख से बढ़कर 20 लाख इकाई हो गई। इस महत्वपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लगभग 39 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। विश्वभर में रुझान के अनुसार भारत में भी रंगीन टी0वी0 और कम्प्यूटर के दामों में भारी कमी हुई। 2002-03 ई0 में सॉफ्टवेयर उद्योग ने 26 प्रतिशत से ज्यादा तथा हार्डवेयर उद्योग ने 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई। सॉफ्टवेयर तो भारत में ठीक से काम कर रहा है परन्तु हार्डवेयर उत्पादन मॉग के अनुरूप नहीं है।

बहुत सरल शब्दों में साइबर अपराध का तात्पर्य कम्प्यूटर तकनीक से जुड़ी हुई घटनाओं अथवा इलैक्ट्रॉनिक चोरी से है। दूसरे तरह के अपराध जहाँ संगठित या असंगठित रूप में सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाते हैं, वहीं साइबर अपराध का सम्बन्ध उन व्यक्तियों से है जो कम्प्यूटर तकनीक में विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा योग्य होते हैं। इन लोगों में इतनी प्रतिभा होती है कि यदि उसका रचनात्मक उपयोग किया जाये तो संचार तकनीक को एक नई दिशा मिल सकती है। इसके विपरीत जब कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में अति कुशल और मेधावी लोग अपनी दक्षता का उपयोग कम्प्यूटर के माध्यम से गबन करने, गुप्त आँकड़ों की चोरी करने, अश्लीलता को प्रोत्साहन देने अथवा हजारों कम्प्यूटरों में वायरस छोड़कर उनकी कार्यप्रणाली को नष्ट करने के लिए करते हैं, तब इन्हीं अनैतिक कार्यों को हम साइबर अपराध कहते हैं।

साइबर अपराध को अनेक विद्वानों ने भिन्न शब्दों द्वारा परिभाषित किया है, यद्यपि सभी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जब कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के ज्ञान का दुरुपयोग कानून विरोधी और अनैतिक कार्यों के लिए किया जात है तब ऐसे व्यवहार को हम साइबर अपराध कहते हैं।

### साइबर अपराध के प्रकार

साइबर अपराध का एक रूप नहीं है, अपितु यह अनेक रूपों में आज सम्पूर्ण विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में मुँह बाए खड़ा है। इसके निम्नलिखित तीन प्रमुख रूप हैं –

(1) **कम्प्यूटर आधारित प्रलेखों के साथ हेर-फेर** :- इस प्रकार के साइबर अपराध में कोई व्यक्ति सचेत रूप से जान-बूझकर कम्प्यूटर में प्रयुक्त गुप्त कोड, कम्प्यूटर प्रोग्राम, कम्प्यूटर सिस्टम अथवा कम्प्यूटर नेटवर्क के साथ हेर-फेर या रद्दोबदल करता है या इनको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करता है।

(2) **कम्प्यूटर सिस्टम को अपने नियन्त्रण में लेना** :- इस प्रकार के साइबर अपराध में कोई व्यक्ति किसी सरकारी वेब साइट अथवा कम्प्यूटर सिस्टम को जान-बूझकर किसी माध्यम से अपने नियन्त्रण में ले लेता है तथा उसमें सुरक्षित सूचनाओं के साथ हेर-फेर करता है अथवा उन्हें समाप्त करने का प्रयास करता है। अनेक देशों में इस प्रकार के साइबर अपराधों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है।

(3) **अश्लील सामग्री का प्रकाशन** :- इस प्रकार के साइबर अपराध में व्यक्ति ऐसी अश्लील सामग्री को इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचारित करता है जिसका देखने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे ऐसी सामग्री को दर्शकों को दिखाकर, पढ़ाकर अथवा अश्लील बातों को सुनाकर कानून द्वारा इस सन्दर्भ में लगाए गए प्रतिबन्धों को तोड़ने का प्रयास करते हैं।

### सन् 2017 में हुए साइबर अपराध

फरवरी 2017 में यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से सटे नोएडा में सोशल ट्रेडिंग के नाम पर 37 अरब की ऑनलाइन टगी के बड़े मामले का खुलासा किया था। एसटीएफ ने सबसे पहले इस टग रैकेट के सरगना अनुभव मित्तल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही कम्पनी का बैंक अकाउंट भी एसटीएफ ने सीज कर दिया है, जिसमें 500 करोड़ की धनराशि जमा है। ये लोग नोएडा के सेक्टर 63 के अब्लेज इन्फो सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी चला रहे थे, जिसने करीब सात लाख लोगों से एक पॉजी स्कीम के तहत 3700 करोड़ से ज्यादा की रकम इनवेस्टमेंट के नाम पर ऑनलाइन ली थी। इस कम्पनी ने Socialtrade.biz नाम से अपनी एक वेबसाइट बनाई थी। इस पोर्टल से जुड़ने वाले को 5750 रू0 से 57,500

रूपये कंपनी के अकाउंट में जमा कराने होते थे, उसके बदले में हर सदस्य को हर क्लिक पर 5 रूपये घर बैठे मिलते थे। इसे केस में कई बैंक मैनेजर और अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं।



मार्च 2017 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से कुछ लोगों ने एक वेबसाइट के जरिए उन्हें माल्टा के पिल्ले बेचने के बहाने उनसे 59 हजार रूपये ठग लिए थे। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने खुर्शीद की शिकायत पर दो मार्च को एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच शुरू की थी। जानकारी के मुताबिक पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को 13 फरवरी को एक पोर्टल के जरिए पिल्लों की बिक्री के बारे में पता चला था। विज्ञापन में एक पिल्ले की कीमत 12 हजार रूपये बतायी गयी थी। उन्होंने आरोपी टोली वलास से ईमेल से सम्पर्क किया। उसने खुद के केरल निवासी होने का दावा किया था उस शख्स के खाते में सलमान ने 59 हजार रूपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे।

सितम्बर 2017 में ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट कम्पनी के खाते से करोड़ों रूपये की रकम गायब हो जाने का मामला सामने आया था। कंपनी के खाते में 19 करोड़ 60 लाख रूपये की बड़ी रकम साफ हो गयी थी। यह ऑनलाइन फ्रॉड तीन महीने के दौरान हुआ था। कम्पनी को इस धांधली के बारे में पता लगा तो कम्पनी ने तुरंत पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये पूरी रकम किसी एक या दो खाते में ट्रांसफर नहीं हुए हैं बल्कि 6000 खातों में ये पैसा गया था। 6000 खातों में पैसे ट्रांसफर होने के बाद पुलिस के लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि ये ऑनलाइन फ्रॉड है या फिर कम्पनी के सिस्टम में खराबी का नतीजा। फिलहाल पुलिस ने 100 से 120 खातों को सीज भी कर दिया है। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र के व्यक्ति की पहचान भी हुई है।



मार्च 2019 में उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में पुलिस ने दो ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो यूपी के पुलिस महानिदेशक की फर्जी True Caller आईडी बनाकर पुलिसवालों और अन्य लोगों से ठगी करते थे। पकड़े गए दोनों शातिर फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर लोगों को छुड़ाने और दूसरे लाभ के काम कराते थे।

मेरठ जिले के कस्बा रामराज का है। जहाँ से मेरठ पुलिस ने दबिश देकर अरूण कुमार पुत्र राजवीर और रामगोपाल पुत्र धर्मपाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने एक नम्बर से ट्रूकॉलर पर यूपी पुलिस के प्रमुख यानी पुलिस महानिदेशक की फर्जी आईडी बनायी। फिर उससे कॉल करके ठगी करने लगे।

ये दोनों डीजीपी की ट्रूकॉलर आईडी वाले नम्बर से पुलिस अधिकारियों को फोन करते थे। यहाँ तक कि दोनों शांतिर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपराधियों को छुड़ाने का प्रयास भी करते थे। पुलिस ने इनके खिलाफ थाना बहसूमा में अपराध संख्या 40/2019 दर्ज किया गया है।

### भारत में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु उपाय

भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ई0 पारित किया है। यह अधिनियम इलैक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए जरूरी कानूनी एवं प्रशासनिक ढाँचा प्रदान करता है। पहले यह अधिनियम 16 दिसम्बर, 1999 ई0 को लोकसभा में पेश किया गया था, परन्तु इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। 16 मई 2000 ई0 को यह पुनः कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा में पेश होने पर पारित कर दिया गया। राज्य सभा ने 17 मई 2000 ई0 को इस अधिनियम को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा राष्ट्रपति द्वारा 9 जून 2000 ई0 को हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही यह अधिनियम भारत में लागू हो गया।



एक ओर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डिजिटल हस्ताक्षर के इलैक्ट्रॉनिक प्राधिकरण के लिए महत्वपूर्ण ढाँचा प्रस्तुत करता है, तो दूसरी ओर यह लोगों में विश्वास भी पैदा करता है कि साइबर जगत में धोखाधड़ी करने पर सम्बन्धित व्यक्ति को सजा भी दी जाएगी। इस अधिनियम के अमल के लिए स्थापित सत्यापन प्राधिकरण नियन्त्रक ने राष्ट्रीय ढाँचा तैयार किया है जोकि सभी सत्यापन अधिकृत एजेंसियों/व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र पर डिजिटल रूप में हस्ताक्षर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फरवरी 2002 से प्रमाण-पत्र प्राधिकरण के अग्रलिखित चार लाइसेन्स जारी किए गए हैं—

- (1) सेफसकप्ट लिमिटेड,
- (2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,
- (3) बैंकिंग प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुसंधान का संस्थान,
- (4) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।

उपर्युक्त अधिनियम के अतिरिक्त दिल्ली और बंगलौर में भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रभाव दल का गठन किया गया है ताकि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी परिसम्पत्तियों का उचित और पर्याप्त बचाव हो सके।

भारत में विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित, जल्दी और आसान तरीके से निपटाने के लिए बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड का प्रचलन बढ़ रहा है। कार्ड तकनीकी प्रगति के साथ-साथ किफायती पड़ते जा रहे हैं तथा इस कारण एक ही कार्ड पर अनेक उपयोग उपलब्ध करा पाना कम्पनियों के लिए सम्भव हो पाया है। भारत में इन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने हेतु तथा बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड के समान मानको को तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इससे सम्बन्धित उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा, परीक्षण उपायों की कुछ विकास परियोजनाएँ चलाई गई हैं, जैसे— 'स्मार्ट कार्ड पर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन' और 'मल्टी एप्लीकेशन स्मार्ट कार्ड बेसड पेमेण्ट सिस्टम'।

'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ई0' के पारित होने के साथ डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता मिल गई है तथा सरकारी प्रलेखों में सरकारी अभिकरण इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत साइबर अपराध से पीड़ित पक्ष द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने 'साइबर अपील ट्रिब्यूनल' की स्थापना की है। इस ट्रिब्यूनल में केवल एकमात्र अध्यक्ष ही होगा जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करेगी। इस नियुक्ति हेतु व्यक्ति का हाईकोर्ट के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश होना अथवा भारतीय कानूनी सेवा का सदस्य

होना अथवा पिछले तीन वर्षों से प्रथम श्रेणी की सेवा में नियुक्त होना अनिवार्य है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होगा।



‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ई0’ के अन्तर्गत पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी इस प्रकार के अपराध में लिप्त व्यक्तियों को बिना सम्मन के गिरफ्तार करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। कोई भी उप-पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी किसी भी सरकारी या निजी स्थान पर इस अपराध से सम्बन्धित तलाशी ले सकता है तथा यदि उसे किसी प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं तो सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे दोषी को अपराधी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य बनाया गया है। पुलिस अधिकारी इस प्रकार के अपराधों के प्रति अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए वे इस प्रकार के अपराधों की प्रभावशाली ढंग से रोकथाम नहीं कर पाते हैं।

‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ई0’ के अतिरिक्त सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने हेतु निम्नलिखित नियम पारित किए हैं ताकि जनसाधारण इनके प्रति जागरूक हो सकें—

- (1) Enforcement Notification of IT Act, 2000,
- (2) Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000,
- (3) Cyber Regulation Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 2000,
- (4) Information Technology (Other Powers of Civil Court Vested in Cyber Appellate Tribunal) Rules, 2003,
- (5) Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating officers and Manner of Holding Enquiry) Rules, 2003,
- (6) Cyber Regulation Appellate Tribunal (Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Presiding officer) Rules, 2003,
- (7) Information Technology (Other Standards) Rules, 2003
- (8) Cyber Regulation Advisory Committee.



सरकार द्वारा उठाए गए उपर्युक्त कदमों के बावजूद अभी भी जनसाधारण ई-व्यापार करने से डरता है ताकि उसे किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। सरकार जनसाधारण में अभी तक इसके लिए जरूरी विश्वास पैदान नहीं कर पाई है। साथ ही, साइबर अपराधों को रोकने हेतु सरकारी प्रयास अपर्याप्त ही नहीं, अपितु

निरर्थक भी सिद्ध हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ई0' के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करे तथा इसकी कमियों को दूर कर इसमें अनिवार्य संशोधन करे।



### निष्कर्ष :-

आज के इस तकनीकी युग में हमें साइबर अपराधों को रोकने के लिये हमें अधिकांशतः कम्प्यूटर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सेवाओं में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है। जो देश के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान और ईमानदार हो। इसका कारण यह है कि पासवर्ड की चोरी साधारणतया उसी विभाग से जुड़े हुए किसी न किसी व्यक्ति की भागीदारी होती है। इसे रोकने के लिए कम्प्यूटर के ज्ञान के साथ निष्ठा और ईमानदारी का विशेष महत्व होना चाहिए।

### सन्दर्भ सूची :-

- (1) भारतीय समाज: मुद्दे एवं समस्याएँ, लेखक डा0 टी0बी0 सिंह, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।
- (2) भारतीय समाज : मुद्दे एवं समस्याएँ, लेखक डा0 जी0के0 अग्रवाल, एसबीपीडी पब्लिकेशन हाऊस आगरा।
- (3) अपराध एवं समाज, लेखक डा0 धर्मवीर महाजन व डा0 कमलेश महाजन, विवके प्रकाशन।
- (4) इन्टरनेट पर सर्च।